

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या. 10358/2023

1. निधि चौधरी पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह भामू, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम/ वी/पी पिपराली, जिला सीकर।
2. बाबूलाल माली पुत्र श्री रामलाल माली, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम मन सिंह जी का खेरा, पोस्ट दान्तरा बन्ध, तहसील आसींद, भीलवाड़ा।
3. विकास थोरी पुत्र श्री बनवारीलाल, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम करंगा छोटा, तहसील फतेहपुर, सीकर।
4. रविन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री अन्तराम शर्मा, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम/ वी/पी मरहोली, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर।
5. राजेन्द्र कुमार धाकड़ पुत्र श्री गोपाल लाल धाकड़, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम/ वी/पी बिजोलिया खुर्द, तहसील बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा।
6. दीपक सिंह पुत्र श्री मुक्त सिंह, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी कंजौली, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।
7. विनोद कुमार चौधरी पुत्र श्री चितरमल चौधरी, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम/ वी/पी तृतीमा, जिला जयपुर।
8. चैन सिंह पंवार पुत्र श्री भेरू सिंह पंवार, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी बरखड़ा, तहसील डींग, जिला नागौर।
9. हरिओम पाराशर पुत्र श्री प्रेम शंकर पाराशर, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी मोहल्ला वामनपुरा, बयाना, भरतपुर।
10. ओमप्रकाश पुत्र श्री गोर्धन राम चौधरी, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम/ वी/पी सरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
11. अनिल कुमार पुत्र श्री मांगे राम, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी गूंजासरी, तहसील भद्रा, हनुमानगढ़।
12. प्रेम पूनिया पुत्री श्री श्याम सिंह पूनिया, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम भगवाणपुरा, तहसील नावां, नागौर।
13. राकेश कुमार पुत्र श्री भंवरलाल प्रजापत, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम/ वी/पी कुम्भसर, नोखा, बीकानेर।

14. रोहताश कुमार पुत्र श्री जदवीर सिंह, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी भादरा, नदबई, भरतपुर।
15. अमित शर्मा पुत्र श्री दौड़ायाल शर्मा, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम इन्डौली, पोस्ट बसई नवाब, धौलपुर।
16. अनिल कुमार कुमावत पुत्र श्री समन्दर लाल, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी सकराय, श्री माधोपुर, सीकर।
17. मर्लीश जांगिड़ पुत्र श्री कैलाश चंद्र जांगिड़, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी खेडी बंदनवार्स, अजमेर।
18. रविन पुत्र श्री धर्मपाल, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम सुरतपुरा, तहसील भद्रा, जिला हनुमानगढ़।
19. रौनक मेवाड़ा पुत्र श्री मुकेश मेवाड़ा, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम नागोला, तहसील भीनाई, जिला अजमेर।
20. प्रियंका चौधरी पुत्री श्री गोर्धन राम चौधरी, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम बाड़मेर मगरी, बाड़मेर।
21. रेशम खान पुत्र श्री रमदान खान, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी बाड़मेर, चौहटन।
22. पंकज कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम सुपावास, तहसील कुम्हेर, भरतपुर।
23. ज्योति कुमारी पुत्री श्री बलजीत सिंह, ग्राम/वी/पी उजोली, तहसील कोटकाशीम, अलवर।
24. अनिल कुमार सैनी पुत्र श्री मोतीलाल सैनी, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम भंडारी, तहसील सिकराय, दौसा।
25. संजय कुमार सैनी पुत्र श्री नानक राम सैनी, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी पिनान, तहसील रेणी, अलवर।
26. हंसराज कसाना पुत्र श्री कैलाश चंद्र कसाना, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम खिचावास, वी/पी बने का बरखदा, दौसा।
27. मनोज कुमार पुत्र श्री जीवन पुरी, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी गुसाइयों की ढाणी, कारी, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं।
28. रोहिताश गुर्जर पुत्र श्री बाबूलाल गुर्जर, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी नवरणपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

29. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम राजगढ़, तहसील वीर, जिला भरतपुर।
30. परशुराम शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम सुरजपुरा, वी/पी बनस्थली, तहसील निवाई, जिला टोंक।
31. अंकुर भारद्वाज पुत्र श्री कमलेश कुमार शर्मा, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी बलावाला, तहसील सांगर, जयपुर।
32. चन्दर कला पुत्री श्री सुबे सिंह, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम हामनवाद छोटा, तहसील राजगढ़, जिला चुरू।
33. प्रियंका धनकर पुत्री श्री सुरजीत सिंह, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी बारकोली, भरतपुर।
34. राहुल सिंह डागर पुत्र श्री जय सिंह डागर, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी हुईयाँ कठूमर, अलवर।
35. गुडिया शर्मा पुत्री श्री सीताराम शर्मा, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी रुढावल, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर सेधी का माध बयाना रोड रुढावल।
36. सुनिता धायल पुत्री श्री मल्लूराम धायल, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी नियर बी.एस. त्यागी स्कूल, तिलक नगर, बीकानेर।
37. वर्षा पुत्री श्री राजूराम, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी राजूराम गोदारो की ढाणी खारा, जालोर।
38. कमलेश कुमार पुत्र श्री गोवर्धन राम, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी फुलासर छोटा, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर।
39. प्रियंका विश्वाई पुत्री श्री रमेश्वरलाल, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी फुलासर छोटा, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर।
40. संजय शर्मा पुत्र श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी महेश्वरा खुर्द, तहसील और जिला दौसा।
41. ओम प्रकाश के. चौधरी पुत्र श्री कृष्ण कुमार चौधरी, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी साऊं की ढाणी, लोरटी हाईट उनधखा, बाड़मेर।
42. संतोष चौधरी पुत्री श्री दामा राम चौधरी, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी धीरेज की ढाणी, उंडू, जिला बाड़मेर।

43. कविता पुत्री श्री राधेश्याम, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी चंहीयावास, बनवाड़ा, तहसील देगाना, जिला नागौर।
44. प्रदीप कुमार वैष्णव पुत्र श्री धनराज वैष्णव, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़।
45. जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी स्कूल के पास, गांव दांतिया, वी/पी गरवाड़ा, जिला झालावाड़।
46. जुथाराम पुत्र श्री सावलाराम, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी कोरका, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालौर।
47. कंचन देवी धाकड़ पुत्री श्री राधेश्याम धाकड़, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी बिलाइती खेड़ा, हिंगोनिया, तहसील सारवार, जिला अजमेर।
48. दीक्षा सालवी पुत्री श्री नरूलाल सालवी, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी चारभुजा मंदिर के पीछे, वी/पी कुंवारिया, जिला राजसमंद।
49. शाहिन अख्तर पुत्री श्री शबीर मोहम्मद, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी सड़ास, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
50. हेमंत कुमार जाट पुत्र श्री गिराज प्रसाद जाट, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम सेवाटी कलां, वी/पी सिंगोर कलां, तहसील खंडार, जिला सवाई माधोपुर।
51. राजीव कुमार पुत्र श्री विजेंद्र कुमार, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी राजपुरा, तहसील भद्रा, जिला हनुमानगढ़।
52. रचना कुमारी परमार पुत्री श्री नवल सिंह, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम एवं वी/पी अब्दुलपुर, तहसील बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान।
53. धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी बरौडेमो, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर।
54. पूजा पुत्री श्री कालू राम, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम पचुन्दा कलां, तहसील सोजत, जिला पाली।
55. शिल्पी पुत्री श्री मुरारी लाल, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी महादेव कॉलोनी, नियर चिराग पब्लिक स्कूल, पानीपत, हरियाणा।
56. दीपेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी पचेरी कलां, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
57. निखत बानो पुत्री श्री लियाकत हुसैन, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी वार्ड नं.

- 3, ग्राम/वी/पी कोटरा, दीप सिंह, तहसील डिगोद, जिला कोटा।
58. रमेश्वरी पुत्री श्री हनुमान राम, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी गोर्सियों का तला अंतिया, चौहटन, बाड़मेर।
59. चौधरी दिव्या चुनाराम पुत्री श्री चुना राम, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी लाला की बेरी बांध, बाड़मेर।
60. राजेन्द्र पुत्र श्री जोधाराम, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी गोदारो का बास खिदरत, जोधपुर।
61. निखिल पुत्र श्री हरदेव सिंह, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम ओडेलजाट, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर।
62. मनवेन्द्र पुत्र श्री अतार सिंह, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम गाजिपुर, तहसील नदबई, जिला भरतपुर।
63. मनीषा यादव पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम मौ, वी/पी चांदपुर, तहसील मुंडावर, जिला अलवर।
64. राजेश कुमार टंवर पुत्र श्री अमरचंद टंवर, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम बलेसर, वी/पी नवरणपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
65. अंकित जैन पुत्र श्री कैलाश चंद जैन, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी झूड़ रोड, शिव कॉलोनी, ब्रिजल नगर, मालपुरा, टोंक।
66. अमित कुमार मीणा पुत्र श्री प्रेम प्रसाद मीणा, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी सुंडरगढ़, वी/पी उलेला, तहसील झूंझपुर, जिला भीलवाड़ा।
67. कृपाल सिंह पुत्र श्री चनान सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम सिटोडा, तहसील फतेहगढ़।
68. गिरधर सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम/वी/पी मूलाना, तहसील फतेहगढ़, जैसलमेर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के माध्यम से, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर (राज.)
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर (राज.)

4. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, इसके सचिव, राजीव गांधी विद्या भवन, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स, अजमेर (राज.)
5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके सचिव, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, अजमेर (राज.) प्रांगण, दुर्गापुरा, राजस्थान, जयपुर - 302018।

----प्रतिवादी

संबंधित मामलों के साथ, जो संलग्न अनुसूची-I में दर्शाए गए हैं।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री विज्ञान शाह साथ में श्री अक्षित गुप्ता श्री हरेन्द्र नील श्री पुलकित भारद्वाज श्री प्रज्ञा सेठ श्री सारा शर्मा श्री राम प्रताप सैनी श्री आमिर खान श्री अरविन्द कुमार शर्मा श्री रघुनंदन शर्मा साथ में श्री निखिल कुमावत श्री कोमल कुमारी गिरी श्री बजरंग सैपट श्री प्रतीक कसलीवाल साथ में श्री गौरी जसाना श्री सुरेश खिलेरी साथ में श्री कपिल खंडेलवाल श्री सुखदेव सिंह सोलंकी श्री शिवात्मा कुमार टैंक श्री नेहा गोदारा श्री आल्मास खानम श्री नरेंद्र कुमार सैनी
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री आर. एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता

साथ में श्री हिमांशु जैन
श्री ऋषिराज महेश्वरी
श्री भरत व्यास, एएजी साथ में
श्री नवीन यादव
श्री कपिल व्यास
श्री जय वर्धन जोशी
श्री नलिन जी. नारायण, एएजी साथ में
श्री अर्पित जैन
श्री मनीष भारद्वाज
श्री अपूर्वा अग्रवाल
श्री यशराज कसलीवाल
श्री गिर्राज पी. शर्मा
श्री प्रह्लाद शर्मा साथ में
श्री काजोल स्वामी
श्री संजय महला साथ में
श्री सुनिता महला
श्री नागेन्द्र शर्मा
श्री नरेंद्र सिंह चौधरी

माननीय श्री जस्टिस समीर जैन
आदेश

रिपोर्टेबल

संरक्षित आदेश दिनांक

07/03/2024

घोषित किया गया

31/05/2024

1. रिट याचिकाओं के वर्तमान समूह में, शामिल विवाद का दायरा, यद्यपि केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक रूप से और मुख्यतः प्रतिवादी-राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (इसके बाद, आरएसएसबी) द्वारा जारी दिनांक 26.05.2023 की अंतिम उत्तर कुंजी की शुद्धता और/या वैधता के संबंध में उठाई गई चुनौती द्वारा परिभाषित है, जो

18.03.2023 को प्रकाशित प्रारंभिक उत्तर कुंजी के विरुद्ध आवेदकों/अभ्यर्थियों से आपत्ति(ओं) के आमंत्रण के अनुसरण में है।

2. इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाएँ विधि के सामान्य प्रश्नों पर निर्णय की माँग करती हैं; सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, **एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10358/2023**, जिसका शीर्षक **निधि चौधरी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य** है, को मुख्य मामले के रूप में लिया जा रहा है। यह सावधानीपूर्वक स्पष्ट किया जाता है कि रिट याचिकाओं के वर्तमान समूह में, यदि कोई विसंगतियाँ हैं, तो वे विशुद्ध रूप से उनमें निहित तथ्यात्मक आख्यानों से संबंधित हैं, न कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विधि के प्रश्नों से।

3. व्यापक तथ्यात्मक आधारभूत संरचना, जिसमें न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विवाद समाहित होते हैं, यहाँ नीचे उल्लेखित है:-

3.1 उत्तरवादी संख्या 5-आरएसएसबी ने दिनांक 16.12.2022 को विज्ञापन जारी किया था, शिक्षक ग्रेड-III (लेवल-I) के पद पर चयन हेतु।

3.2 कुल मिलाकर, उक्त विज्ञापन के माध्यम से 21000 पदों की सूचना दी गई थी।

3.3 उपर्युक्त पदों पर चयन एक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के आधार पर विज्ञापित किया गया था, जिसकी योजना इस प्रकार है:-

1. कुल प्रश्नों की संख्या : 150

2. अधिकतम अंक : 300

3. समय अवधि : 2 घंटे 30 मिनट
4. नकारात्मक अंकन : 1/3 अंक
5. प्रत्येक सही उत्तर का भारांक : 2 अंक

3.4 विज्ञापन के अनुसार, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र 21.12.2022 से 19.01.2023 के बीच भरना आवश्यक था।

3.5 लिखित परीक्षा आरएसएसबी द्वारा 25.02.2023 को आयोजित की गई थी।

3.6 18.03.2023 को आरएसएसबी ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी की थी।

3.7 उसी दिन, एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें अभ्यर्थियों से 18.03.2023 को जारी मॉडल उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। ऐसा करने के लिए, अभ्यर्थियों को निर्धारित समय 20.03.2023 से 22.03.2023 तक दिया गया। इस प्रारंभिक अवस्था में, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, यह परिलक्षित होता है कि सभी याचिकाकर्ताओं ने मॉडल उत्तर कुंजी के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में आपत्तियाँ नहीं उठाई थीं, जैसा कि प्रतिवादी आरएसएसबी द्वारा निर्देशित किया गया था।

3.8 26.05.2023 को, आरएसएसबी ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी की।

3.9 उक्त अंतिम उत्तर कुंजी, कुल 22 प्रश्नों/उत्तरों के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों पर ध्यान देने के पश्चात, जारी की गई, जैसा कि आपत्तियाँ प्राप्त हुई थीं।:-

3.9.1 5 प्रश्न हटाए गए (प्रश्न संख्या 55, 96, 113, 149 और 150)।

3.9.2 3 प्रश्नों के उत्तर बदले गए (प्रश्न संख्या 84, 118 और 126)।

3.9.3 प्रारंभिक उत्तर कुंजी में शामिल उत्तरों को 14 प्रश्नों में यथावत रखा गया (प्रश्न संख्या 9, 19, 21, 22, 47, 51, 64, 83, 90, 119, 122, 12, 8, 130 और 131)।

3.10 दिनांक 26.05.2023 की अंतिम उत्तर कुंजी में दिनांक 18.03.2023 की प्रारंभिक उत्तर कुंजी से उपरोक्त विचलनों और/या गैर-विचलनों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3.11 वर्तमान याचिका दायर करने के अनुसरण में, दिनांक 12.09.2023 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में, आरएसएसबी को निर्देश दिया कि वह उपरोक्त उल्लिखित 22 प्रश्नों के संबंध में निष्कर्ष का, जैसा कि अंतिम उत्तर कुंजी में दर्शाया गया है, अपने विशेषज्ञों के समूह के माध्यम से 15 दिनों की अवधि के भीतर पुनः सत्यापन करे।

3.12 दिनांक 12.09.2023 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में, आरएसएसबी ने एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसे एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8893/2023 में प्रियंका शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है।

3.13 प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार, आरएसएसबी ने अपने विशेषज्ञों द्वारा दिनांक 26.05.2023 को अंतिम उत्तर कुंजी के पुनर्सत्यापन के बाद, विशेष रूप से आपत्ति किए गए 22 प्रश्नों के संबंध में, अंतिम उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तरों को बरकरार रखा और परिणामस्वरूप, कोई और परिवर्तन नहीं किया। इसलिए, आज की तिथि तक,

पुनर्सत्यापन के बाद, आरएसएसबी अपने उत्तरों को दिनांक 26.05.2023 की अंतिम उत्तर कुंजी में शामिल रखता है।

3.14 दिनांक 30.11.2023 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने तृतीय पक्ष अधिकारों की सृजन की प्रक्रिया रोकने हेतु प्रतिवादी राज्य को निर्देशित किया कि शिक्षक ग्रेड-III (लेवल-I) के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में यथास्थिति बनाए रखी जाए। अतः, अनजाने में, वर्तमान में कोई तृतीय पक्ष अधिकार उत्पन्न नहीं हुए हैं।

4. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, श्री विज्ञान शाह ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी- आरएसएसबी द्वारा जारी दिनांक 26.05.2023 की अंतिम उत्तर कुंजी, शिक्षक ग्रेड III (स्तर I) के पद पर भर्ती के लिए याचिकाकर्ताओं की वास्तविक योग्यता/स्थिति को खतरे में डालती है क्योंकि RSSB द्वारा उक्त अंतिम उत्तर कुंजी में निकाले गए कुछ विचलन और/या गैर-विचलन, दिनांक 18.03.2023 की प्रारंभिक उत्तर कुंजी में शामिल उत्तरों से गलत और अस्वीकार्य हैं। इसलिए, इस न्यायालय को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, विवादित उत्तरों के संबंध में न्यायिक समीक्षा करनी चाहिए, और जहाँ यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि विवादित उत्तर कुंजी स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से गलत है, उत्तरों को बदलना चाहिए और/या आरएसएसबी को अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के उद्देश्य से उक्त उत्तरों की पुनः जाँच करने के लिए विशेषज्ञों का एक नया निकाय गठित करने का निर्देश देना चाहिए।

5. श्री शाह ने आगे प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में तथा भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा में, परीक्षा आयोजित करने तथा चयन प्रक्रिया की देख-रेख करने वाले निकाय की ओर से त्रुटि की कोई भी संभावना पूर्णतः समाप्त की जानी चाहिए। यदि ऐसी त्रुटियाँ होने दी जाती हैं, तो इसका खामियाजा केवल परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को ही नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि व्यापक जनसमूह को भी भुगतना पड़ेगा, जिसका असर उत्तरदायी राज्य की अक्षमता द्वारा सार्वजनिक पदों पर अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति के रूप में होगा। इस संदर्भ में, विवादित उत्तरों, यथा प्रश्न संख्या 55, 84, 113, 118, 126 और 150 सहित अन्य प्रश्नों के संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने कई पाठ्य-पुस्तकों और/या अध्ययन सामग्री पर विश्वास रखा और यह तर्क दिया कि उक्त सामग्री यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सही बताए गए उत्तर वास्तव में सही हैं और अतः, प्रतिवादी-आरएसएसबी द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी न्यायिक हस्तक्षेप की अपेक्षा करती है।

6. इस स्थिति में, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय और अन्य बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य 1983 एआईआर (एससी) 1230 में प्रतिपादित सिद्धांत का हवाला दिया, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि अभ्यर्थियों को उस उत्तर के लिए दंडित करना उचित नहीं होगा, जो वास्तव में गलत सिद्ध हुआ है। अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई संदेह नहीं है कि जब उत्तर कुंजी त्रुटिपूर्ण और प्रत्यक्षतः गलत हो, और याचिकाकर्ताओं द्वारा

प्रमाणित सामग्री के विपरीत हो, जो याचिका के साथ संलग्न है, तो अभ्यर्थियों/याचिकाकर्ताओं को पीड़ित नहीं किया जा सकता।

7. अंततः, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-आरएसएसबी, जिसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया का प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है, को विवादित अंतिम उत्तर कुंजी तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए थी, विशेषकर उन अभ्यर्थियों के हित के लिए, जो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी में अपना काफी समय और ऊर्जा लगाते हैं। गलत उत्तर कुंजी के परिणामस्वरूप मेरिट प्रभावित होती है और निष्पक्षता के नाम पर मजाक बन जाती है। यह भी कहा गया कि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों में, जहाँ न्यायालय हस्तक्षेप करने में धीमे होते हैं, वहाँ परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय, अर्थात् आरएसएसबी, पर उचित और सही परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, जिसमें सही उत्तर देने की स्पष्टता होनी चाहिए।

8. ऊपर दिए गए तर्कों के समर्थन में, विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा की अनुमति के पहलू पर, जिसमें उत्तर स्पष्ट रूप से गलत हैं, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कानपुर विश्वविद्यालय (सुप्रा), डी.बी. एसएडब्ल्यू संख्या **847/2022** जिसका शीर्षक सुमन और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, गुरु नायक देव विश्वविद्यालय बनाम सौमिल गर्ग और अन्य (2005) 13 एससीसी 749 में रिपोर्ट किया गया, डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या **847/2022** जिसका शीर्षक सुमन और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या **1092/2015** जिसका शीर्षक पंकज ओसवाल और अन्य बनाम आरपीएससी और अन्य, डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या **497/2022** जिसका शीर्षक

आरपीएससी और अन्य बनाम ज्ञानेंद्र शर्मा और अन्य आदि है, आदि में प्रतिपादित उक्ति पर भरोसा किया।

9. परिणामस्वरूप, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि दिनांक 26.05.2023 की अंतिम उत्तर कुंजी को त्रुटिपूर्ण घोषित किया जाए और इसके परिणामस्वरूप, या तो याचिकाकर्ताओं द्वारा सही माने गए उत्तर, जो दलीलों के माध्यम से रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, को सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया जाए, या वैकल्पिक रूप से, आरएसएसबी को प्रारंभिक उत्तर कुंजी के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों की पुनः जाँच करने और उक्त पुनर्विचार के अनुसरण में, प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों और अध्ययन सामग्री के आधार पर, बाद की अंतिम उत्तर कुंजी तैयार करने के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया जाए।

10. प्रतिपक्ष में, श्री आर.एन. माथुर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री भारत व्यास एएजी, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होकर, याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का दृढ़ता से खंडन किया और यह प्रस्तुत किया कि प्रशासनिक निर्णय लिए जाने के मामलों में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र और अनुमति बहुत सीमित है। उक्त प्रस्तुति के समर्थन में, अधिवक्ता ने यह भी कहा कि यह न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, केवल यह सीमित निष्कर्ष निकाल सकता है कि संबंधित परीक्षा के प्रशासन का दायित्व निभा रहे निकाय ने विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया या नहीं। हालांकि, किसी भी स्थिति में, न्यायालय अपने स्वयं के विचारों को परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय के विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णयों के स्थान पर नहीं रख सकता, विशेषकर जब उक्त निकाय ने विधिक प्रक्रिया

का समुचित पालन किया हो और प्राप्त उत्तर/निष्कर्ष स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण घोषित किए जाने की कसौटी पर खरे न उतरें।

11. उपरोक्त प्रस्तुत तर्कों की निरंतरता में, अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि न्यायालय विवादित उत्तरों के विषय-वस्तु के विशेषज्ञ नहीं हैं, अतः उनकी वैधता की जांच के लिए, न्यायालय को विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए कि वे प्रस्तुत उत्तरों की शुद्धता पर अपनी राय दें, क्योंकि वे विषय-वस्तु की बारीकियों को समझने में अधिक सक्षम होंगे। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया कि 18.03.2023 की प्रेस नोट के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को प्राप्त करने के बाद, विशेषज्ञों ने प्रामाणिक अध्ययन सामग्री पर उचित विश्वास रखते हुए उन आपत्तियों का मूल्यांकन किया और तत्पश्चात आवश्यकतानुसार उपयुक्त परिवर्तन किए। उक्त आपत्तियों के मूल्यांकन के बाद ही, अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 26.05.2023 जारी की गई।

12. इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान भी, दिनांक 12.09.2023 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में, आरएसएसबी ने विवादित उत्तरों के संबंध में अपने निष्कर्षों का पुनः परीक्षण किया, इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान, दिनांक 12.09.2023 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में, आरएसएसबी ने अपने विशेषज्ञों के माध्यम से अंतिम उत्तर कुंजी में उल्लिखित विवादित उत्तरों के संबंध में अपने निष्कर्षों का पुनः सत्यापन किया और उसके बाद, किसी और परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पाई। संक्षेप में, विषय-वस्तु विशेषज्ञों ने दिनांक 26.05.2023 की अंतिम उत्तर कुंजी का पहले ही पुनर्मूल्यांकन कर लिया है और इसलिए, यदि आपत्तियों पर पुनर्विचार/मूल्यांकन हेतु कोई और निर्देश

जारी किया जाता है, तो वह प्रारंभ से ही निरर्थक होगा, क्योंकि तथ्यों के निष्कर्ष, एक बार विशेषज्ञों द्वारा ज्ञात हो जाने के बाद, बाद में बदले नहीं जा सकते। इसके अलावा, अंतिम उत्तर कुंजी के निरंतर मूल्यांकन के लिए, उम्मीदवार की सत्यता के अनुमानित विश्वास के आधार पर, बार-बार विशेषज्ञ समितियों का पुनर्गठन एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होगी, जो अनजाने में पूरी चयन प्रक्रिया को काफी समय के लिए रोक देगी, जिससे बड़े पैमाने पर जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसमें हजारों उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्होंने संबंधित परीक्षा में भाग लिया था, लेकिन आज तक इस न्यायालय के समक्ष नहीं हैं।

13. परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिकाओं के बैच को निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का हवाला दिया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर (2010) 6 एससीसी 759, रण विजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2018) 2 एससीसी 357, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष एवं अन्य बनाम राहुल सिंह एवं अन्य (2018) 7 एससीसी 254, विकेश कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य राजस्थान एवं अन्य (2021) 2 एससीसी 309, बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य बनाम अरुण कुमार एवं अन्य (2020) 6 एससीसी 362 और कविता भार्गव बनाम रजिस्ट्रार, परीक्षा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर : डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2253/2022, समेत अन्य।

14. दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और विचार किया गया, वर्तमान याचिका का रिकॉर्ड देखा गया तथा बार में उद्धृत निर्णयों का परीक्षण किया गया।

15. संक्षिप्त रूप से नोट किया गया कि वर्तमान रिट याचिकाओं के व्यापक तथ्यात्मक वर्णन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष विवाद/विवादित विषय का दायरा अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 26.05.2023 के न्यायिक पुनरीक्षण से संबंधित है, जो शिक्षक ग्रेड-III (लेवल-I) परीक्षा के लिए प्रकाशित की गई थी, याचिकाकर्ताओं/अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों के आधार पर, प्रारंभिक उत्तर कुंजी दिनांक 18.03.2023 के विरुद्ध।

16. न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पूर्व, यह न्यायालय संक्षेप में उन सीमाओं को स्पष्ट करेगा जिनके भीतर उक्त प्रक्रिया अनुमेय है, विशेष रूप से प्रशासनिक निर्णय-निर्माण के मामलों में, इतनी बड़ी मात्रा में सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए।

17. न्यायिक पुनरीक्षण के पहलू पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकेश ठाकुर (सुप्रा) मामले में निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया है:

“19. उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के लिए स्वयं प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना अनुमेय नहीं था, विशेष रूप से जब आयोग ने अभ्यर्थियों की आपसी मेरिट का मूल्यांकन किया था। यदि उत्तर या प्रश्न के फ्रेमिंग या मूल्यांकन में कोई असंगति थी, तो वह सभी अभ्यर्थियों के लिए होती, जो परीक्षा में उपस्थित हुए, न कि केवल प्रतिवादी संख्या 1 के लिए। यह संयोग की बात है कि उच्च न्यायालय कानून से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहा था। यदि यह भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे

अन्य विषय होते, तो हम यह समझने में असमर्थ होते कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा तरीका अपनाया जा सकता था।

20. अतः, हम यह सुविचारित मत रखते हैं कि ऐसा तरीका अपनाना उच्च न्यायालय के लिए अनुमेय नहीं था।”

18. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रण विजय सिंह (सुप्रा) मामले में, संबंधित सार्वजनिक परीक्षा की उत्तर कुंजी की शुद्धता के संबंध में न्यायिक पुनरीक्षण की सीमित अनुमति पर और अधिक विस्तार से प्रकाश डाला, जो परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकरण द्वारा जारी की गई थी। निर्णय इस प्रकार हुआ:

“30. इस विषय में कानून पूरी तरह स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उजागर करना चाहते हैं। वे हैं: (i) यदि कोई विधि, नियम या विनियम किसी परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की जांच को अधिकार स्वरूप अनुमत करता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाली प्राधिकारी उसे अनुमति दे सकती है; (ii) यदि कोई विधि, नियम या विनियम पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की जांच को सीधे निषिद्ध नहीं करता है, तो न्यायालय तभी पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति दे सकता है जब यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो जाए, बिना ‘तर्क प्रक्रिया या ‘सिद्धांत माध्य के, और केवल दुर्लभ अथवा अपवाद के मामलों में जब कोई ठोस त्रुटि की गई हो; (iii) न्यायालय को किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए—इस विषय में न्यायालय विशेषज्ञ नहीं है और अकादमिक मामलों को अकादमिक जगत पर ही छोड़ देना चाहिए; (iv) न्यायालय को उत्तर कुंजी के उत्तरों की शुद्धता को मान लेना चाहिए और उसी धारणा के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए; (v) यदि

संदेह की स्थिति हो तो लाभ परीक्षा आयोजित करने वाली प्राधिकारी को मिलना चाहिए, न कि अभ्यर्थी को।”

19. इसी प्रकार, विकेश कुमार गुप्ता (सुप्रा) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया:

“11. यद्यपि नियम अनुमति देते हैं तो पुनर्मूल्यांकन निर्देशित किया जा सकता है, इस न्यायालय ने न्यायालयों द्वारा प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन और जांच की प्रथा का विरोध किया है, क्योंकि न्यायालय शैक्षणिक मामलों में विशेषज्ञता नहीं रखते। यह उच्च न्यायालय के लिए अनुमेय नहीं है कि वह स्वयं प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच/परीक्षा करे, विशेष रूप से जब आयोग ने अभ्यर्थियों की आपसी मेरिट का मूल्यांकन किया हो (हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर एवं अन्य (2010) 6 एससीसी 759)। न्यायालयों को विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के प्रति सम्मान और विचार दिखाना चाहिए, जिन्होंने निष्कर्षों के मूल्यांकन और अनुशंसा करने की विशेषज्ञता है।”

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल सिंह (सुप्रा) मामले में स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों का विवेचन किया, जहाँ न्यायालय विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित उत्तरों के संबंध में न्यायिक हस्तक्षेप/जांच कर सकता है, यद्यपि बहुत सीमित रूप में। निर्णय के प्रासंगिक अंश को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“कानून स्थापित है कि अभ्यर्थी पर यह दायित्व है कि न केवल यह प्रमाणित करे कि उत्तर कुंजी गलत है, बल्कि यह भी कि वह स्पष्ट गलती है जो पूरी तरह से स्पष्ट है और किसी भी तर्क प्रक्रिया या विचार की आवश्यकता नहीं है यह दिखाने के लिए कि उत्तर कुंजी गलत है। संविधानिक न्यायालयों को ऐसे

मामलों में अत्यधिक संयम बरतना चाहिए और उत्तर कुंजी की शुद्धता को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकारने में हिचकिचाहट रखनी चाहिए। कानपुर विश्वविद्यालय मामले (सुप्रा) में, न्यायालय ने अनुशंसा दी थी—(1) मॉडरेशन प्रणाली; (2) प्रश्नों में अस्पष्टता से बचना; (3) संदिग्ध प्रश्नों को बाहर करने के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाए, और ऐसे प्रश्नों को कोई अंक न दिए जाएं।”

21. अतः, उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत का समष्टिगत अनुपालन करते हुए, यह संक्षेप में कहा जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर अपने अनेक न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह स्थिर किया है कि न्यायालयों को यह अत्यंत सावधानी और हिचकिचाहट के साथ करना चाहिए कि वे शैक्षणिक मामलों में क्या सही और भली-भांति जांचा/परखा गया है, उस संबंध में अपने स्वयं के विचारों को उन विचारों की तुलना में प्राथमिकता दें जो पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं और जिनके पास परीक्षा की योजना में शामिल वास्तविक शैक्षणिक विषयों में कुशलता, क्षमता और विशेषज्ञता होती है।

22. उपरोक्त के साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उक्त न्यायिक निर्णयों के माध्यम से एक काफी विशिष्ट सीमा निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों के समूह द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी के न्यायिक पुनरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है, यद्यपि बहुत ही सीमित रूप में। रण विजय सिंह (सुप्रा) मामले में यह निर्धारित किया गया कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपना अधिकार क्षेत्र प्रयोग करते हुए केवल तभी उत्तर कुंजी के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति दे सकते हैं जब यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो कि परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय की ओर से कोई गंभीर

त्रुटि की गई है। ऐसी त्रुटि इतनी स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से गलत होनी चाहिए कि न्यायालय को उसकी समझ के लिए किसी तर्कशास्त्र या कारणनिर्धारण की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता न पड़े।

23. इसलिए, एकमात्र अपवाद, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, विवादित उत्तर कुंजियों में न्यायालय के हस्तक्षेप की अनुमति देता है, वह तब लागू होता है जब विवादित उत्तर कुंजी 'स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से गलत' प्रतीत होती है।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानपुर विश्वविद्यालय (सुप्रा) के चर्चित निर्णय में 'स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण' क्या है इस पर विस्तार से चर्चा की, निर्णय इस प्रकार है:

“15. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष छात्र समुदाय के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। सामान्यतः, कोई भी व्यक्ति, विशेषकर यदि वह प्रश्नपत्र तैयार करने वाला और परीक्षक रहा हो, इस दृष्टिकोण से सहमत होगा कि प्रश्नपत्र तैयार करने वाले द्वारा दिया गया मुख्य उत्तर, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा सही माना गया हो, उसे चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। इसका एक तरीका यह है कि मुख्य उत्तर को प्रकाशित ही न किया जाए। यदि विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम के साथ मुख्य उत्तर प्रकाशित नहीं किया होता, तो इस मामले में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यह इन मामलों को देखने का सही तरीका नहीं है, जो उन सैकड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े हैं जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं। यदि इस मामले में मुख्य उत्तर को गुप्त रखा जाता, तो उपाय बीमारी से भी बदतर होता, क्योंकि बहुत से छात्रों को चुपचाप अन्याय सहना पड़ता। मुख्य उत्तर के प्रकाशन ने एक सुखद स्थिति

को उजागर कर दिया है जिसका समाधान विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को अवश्य ही खोजना चाहिए। मुख्य उत्तर प्रकाशित करने में उनकी निष्पक्षता की भावना ने उन्हें अपनी परीक्षा प्रणाली को और करीब से देखने का अवसर दिया है। कंप्यूटर नहीं, बल्कि मानव प्रणाली ही विफल हुई है।

16. श्री कक्कड़, जो विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित हुए, ने यह तर्क दिया कि किसी उत्तर कुंजी की शुद्धता को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से गलत न हो। हम सहमत हैं कि उत्तर कुंजी को सही मानना चाहिए, जब तक कि इसे गलत साबित न किया जाए और इसे किसी तर्कशास्त्र या कारणनिर्धारण की प्रक्रिया द्वारा गलत न माना जाए। यह स्पष्ट रूप से गलत होना चाहिए, अर्थात्, ऐसा होना चाहिए जिसे उस विषय में निपुण कोई भी व्यक्ति सही न माने। विश्वविद्यालय का तर्क इस मामले में बड़ी संख्या में स्वीकार्य पाठ्य-पुस्तकों द्वारा गलत सिद्ध हुआ है, जिन्हें छात्रों द्वारा सामान्यतः पढ़ा जाता है। ये पाठ्य-पुस्तकें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़तीं कि छात्रों द्वारा दिया गया उत्तर सही है और उत्तर कुंजी गलत है।”

25. इसलिए, किसी त्रुटि को स्पष्टतः गलत तभी माना जाएगा, जब न्यायालय का यह विचार हो कि कथित त्रुटि भ्रान्ति को स्थापित करने के लिए परीक्षण या तर्कों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात्, त्रुटि रिकॉर्ड के सामने स्वयंसिद्ध होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में, जहाँ त्रुटि को तर्क की प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना है, तब यह नहीं कहा जा सकता कि दावा किया गया भ्रान्ति स्पष्टतः गलत है। तार्किक निगमन द्वारा, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी, जहाँ दो या दो से अधिक तार्किक निर्माण किसी विवादित प्रश्न/उत्तर के लिए प्रशंसनीय हों, और उन निर्माणों में से एक को उत्तर-कुंजी में अपनाया गया हो,

तब भी, उक्त उत्तर कुंजी को न्यायालय की जाँच से सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि उक्त निर्माण विषय-वस्तु विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त प्रशंसनीय परिणामों में से एक होगा।

26. निष्कर्षतः, उपर्युक्त सिद्धांतों का संक्षेप में सार प्रस्तुत करते हुए, इस न्यायालय के पूर्व प्रतिपादन पर भी विश्वास रखा जा सकता है, जैसा कि **एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4777/2021** शीर्षक **सुरजन लाल धवन एवं अन्य बनाम राज्य राजस्थान** में पूर्व में प्रतिपादित किया गया, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया में संलग्न न्यायालय केवल उस प्रक्रिया का परीक्षण करता है—प्रशासनिक अथवा वैधानिक—लेकिन अनिवार्य रूप से उसके सार्वजनिक परिणाम को देखकर, कि क्या उसे प्रक्रिया की निष्पक्षता और नियमितता के साथ, गैर-कानूनीता से मुक्त, दुर्भावना या माला फाइंड्स अथवा इतनी स्पष्ट रूप से अतार्किक निष्कर्ष से प्रेरित नहीं किया गया कि उस स्थिति में रखा गया कोई भी विवेकशील व्यक्ति उस निष्कर्ष तक न पहुंचे।

27. अतः, उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाले न्यायिक पुनरीक्षण संबंधी विधिक स्थिति के साथ सुसज्जित होकर, यह न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि आरएसएसबी द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 26.05.2023 में सम्मिलित उत्तर स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण हैं या नहीं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि विवादित उत्तर उठाई गई आपत्तियों के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन उत्तरों के संबंध में न्यायिक पुनरीक्षण अनुमेय नहीं होगा। विपरीत रूप में, यदि विवादित उत्तर स्पष्ट और प्रमाणित त्रुटि को उजागर करने में सफल रहते हैं, तो न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप करेगा।

28. अब, यह न्यायालय विवादित प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन करने का कार्य करेगा कि क्या वे उत्तर स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हैं या नहीं ।

29. अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 26.05.2023 में विवादित उत्तरों का अवलोकन करने के बाद, जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा उत्तरों के पुन सत्यापन के पश्चात् भी यथावत रखा गया, जो कि अंतरिम आदेश दिनांक 12.09.2023 के अनुसार थी, जिसकी रिपोर्ट संबंधित याचिका एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. **8893/2023 शीर्षक** प्रियंका शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में संलग्न है, यह न्यायालय उचित समझता है कि यदि विवादित उत्तरों की अशुद्धता के संबंध में कोई ठोस सामग्री/सूचना नहीं है, तो कोई भी सामान्य समझ वाला व्यक्ति, जिसके पास पर्याप्त ज्ञान है, उस गलती की झलक स्पष्ट रूप से पकड़ने में असमर्थ होगा जो आरोपित रूप से दिनांक 26.05.2023 की आपत्तिजनक उत्तर कुंजी में आ गई हो। मूलतः, विवादित उत्तर कुंजी में अशुद्धता और तथ्यात्मक गलतियों को स्थापित करने के लिए, एक समझदार व्यक्ति को अकादमिक और अनुसंधान की दुनिया में गहराई से अध्ययन करना होगा एवं कथित अवैधताओं की जांच करनी होगी। तब भी, अशुद्धता और गलतियों का पर्दाफाश करने के लिए, तर्कसंगत बहस आवश्यक होगी ताकि किसी सूचित निर्णय पर पहुंचा जा सके और चुनौती दिए गए उत्तरों की वैधता तय की जा सके। इसके अतिरिक्त, कुछ उत्तरों में, जैसा कि नीचे प्रदर्शित किया गया है, दो तार्किक परिणाम संभव हो सकते हैं। ऐसे परिदृश्यों में भी, यह न्यायालय उचित समझता है कि आरएसएसबी, जो इतनी बड़ी मात्रा में परीक्षा का

संचालन कर रहा है, उसे संदेह का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तर कुंजी में शामिल एक ऐसा संभावित निष्कर्ष हो सकता है।

30. उदाहरण स्वरूप, कुछ विवादित उत्तर, साथ ही विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 26.05.2023 पुन जांचते समय अपनाई गई तर्कसंगति को यहाँ पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

प्रश्न संख्या 55: वे बच्चे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, की परिभाषा निम्न प्रकार है-

क) कमजोर वर्ग

ख) विशेष पिछड़ा वर्ग

ग) गरीबी रेखा के नीचे

घ) वंचित समूह

प्रारंभिक उत्तर कुंजी में उत्तर : विकल्प डी

अंतिम उत्तर कुंजी में, आपत्तियाँ प्राप्त करने के पश्चात् विशेषज्ञ समिति द्वारा: प्रश्न हटाया गया

विशेषज्ञों द्वारा पुन सत्यापन के बाद उत्तर, इस न्यायालय के दिनांक 12.09.2023 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में प्रश्न हटाया गया ।

अंतिम उत्तर कुंजी में उत्तर को पुष्ट करने के लिये विशेषज्ञों द्वारा अपनाई गई तर्कसंगति: प्रश्न की समीक्षा के बाद, विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की परिभाषा के अनुसार 'वंचित समूह' की परिभाषा व्यापक है, जिसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई या लैंगिक संबंधी कारणों से पिछड़े हुए हैं। अतः, चूँकि प्रश्न में केवल कुछ ही मापदंडों को इस योग्यता के

लिए सम्मिलित किया गया था, प्रश्न को सभी परीक्षार्थियों के लिए अस्पष्टता दूर करने हेतु हटाना उचित माना गया।

विशेषज्ञों द्वारा अपनाई गई तर्कसंगति को निराधार और/या मनमाना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रश्न अधूरा था। सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से अस्पष्टता दूर करने का सर्वोत्तम तरीका प्रश्न को पूरी तरह से हटाना था ।

प्रश्न संख्या 84: यदि किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तो उस विद्यालय में सरकार द्वारा कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए?

क. 2

ख. 3

ग. 4

घ. 5

प्रारंभिक उत्तर कुंजी में उत्तर: विकल्प सी

विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्तियाँ प्राप्त करने के बाद, अंतिम उत्तर कुंजी में उत्तर: विकल्प डी

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2023 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में विशेषज्ञों द्वारा पुनः सत्यापन के बाद उत्तर: विकल्प डी

अंतिम उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तर की पुष्टि के लिए विशेषज्ञों द्वारा अपनाया गया तर्क: विशेषज्ञों की राय थी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग मानदंड और मानक हैं, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा प्रदान किया गया है। उल्लेखित प्रश्न एक उच्च प्राथमिक विद्यालय से संबंधित था, जहाँ कुल 130

छात्रों का नामांकन है। इस संबंध में, विशेषज्ञों ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम, विशेष रूप से भाग II पर भरोसा किया, जो अनुसूची प्रदान करता है, जिसका भाग 1(बी) नामांकित छात्रों के अनुसार शिक्षकों की संख्या प्रदान करता है। अनुसूचियों में कहा गया है कि प्रत्येक 35 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक और यदि बच्चों का प्रवेश 100 छात्रों से अधिक है तो एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की आवश्यकता है। इसलिए, चूंकि प्रश्न में 130 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या पूछी गई थी, इसलिए सही विकल्प डी होगा अर्थात् 5 शिक्षक, क्योंकि गणितीय रूप से, 130 बच्चों के लिए 4 शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

विकल्प डी की पुनः पुष्टि करते समय विशेषज्ञों द्वारा अपनाया गया तर्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि लागू कानून है, के संदर्भ में विशुद्ध गणितीय परिशुद्धता पर आधारित है। इसलिए, अंतिम उत्तर कुंजी में विशेषज्ञों द्वारा समर्थित उत्तर में त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है।_

प्रश्न संख्या 126: “यद्यपि एक विज्ञान शिक्षक किसी भी विषय की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं करता है, फिर भी अन्वेषण उपागम में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।” अन्वेषण उपागम में एक विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका होती है?

ए. प्रशिक्षक और सुविधा प्रदाता

बी. प्रशिक्षक और प्रेरक

सी. सुविधा प्रदाता और प्रेरक

डी. मार्गदर्शक और प्रशिक्षक

प्रारंभिक उत्तर कुंजी में उत्तर: विकल्प सी

अंतिम उत्तर कुंजी में, आपत्तियाँ प्राप्त होने के पश्चात् विशेषज्ञ समिति द्वारा: **विकल्प डी**

विशेषज्ञों द्वारा पुनः सत्यापन के पश्चात् उत्तर, इस न्यायालय के दिनांक **12.09.2023** के अंतरिम आदेश के अनुपालन में: विकल्प डी

अंतिम उत्तर कुंजी में उत्तर को पुष्ट करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा अपनाई गई तर्कसंगति: विशेषज्ञ का मत था कि प्रश्न ने यह नहीं पूछा कि शिक्षक का उनके नियमित शिक्षण कार्यक्रम में क्या भूमिका है, बल्कि प्रश्न ने विशेष रूप से 'इन्क्वायरी अप्रोच' में विज्ञान शिक्षक की भूमिका पूछी थी। 'इन्क्वायरी अप्रोच' एक विशेष और नवाचारी विधि है जो पूरी तरह से छात्र के लिए बनाई गई है। अतः, यह स्पष्ट है कि शिक्षक को एक मार्गदर्शक और प्रशिक्षक की भूमिका में होना चाहिए ताकि वह छात्र का मार्गदर्शन कर सके कि कार्य कैसे करना है, सकारात्मक परिणाम की ओर कैसे ले जाना है और छात्र को सही कदम उठाने के लिए निर्देश दे सके ताकि पूर्ण परिणाम प्राप्त हो सके तथा उचित सुदृढीकरण भी प्रदान कर सके। इसलिए, विकल्प डी सही होगा ।

विशेषज्ञों द्वारा अपनाई गई तर्कसंगति को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह ध्यान दिया गया कि इन्क्वायरी अप्रोच में, जो सीधे-सीधे छात्र को उत्तर न देकर बल्कि उसे स्वयं निष्कर्ष पर पहुँचने का मार्गदर्शन देने की विचारधारा को रेखांकित करता है, शिक्षक को मार्गदर्शक और प्रशिक्षक की भूमिका निभानी चाहिए ताकि छात्र की सोच प्रक्रिया को सही दिशा मिले और वह उत्तर तक पहुँच सके । स्वतंत्र रूप से, विकल्प सी में शामिल 'प्रेरक' इन्क्वायरी अप्रोच में उपयुक्त नहीं बैठता, जबकि विकल्प डी अधिक उपयुक्त है। इस संबंध में यह भी ध्यान दिया गया कि कानून की स्थिति स्पष्ट है कि जहाँ किसी विवादित प्रश्न/उत्तर के लिए दो या अधिक तार्किक व्याख्याएं संभव हैं, और

उनमें से कोई एक व्याख्या उत्तर कुंजी में अपनाई जाती है, तब भी, उक्त उत्तर कुंजी/विकल्प को न्यायालय की जांच से संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि वह व्याख्या संभावित निष्कर्षों में से एक होगी। संदेह का लाभ उस संस्था को देना चाहिए जो व्यापक स्तर पर परीक्षा आयोजित करने का कार्य करती है।

31. उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में, यह न्यायालय उचित समझता है कि जब विवादित उत्तरों का विश्लेषण एक समझदार व्यक्ति की दृष्टि से किया गया, तो इस न्यायालय को रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट त्रुटि नज़र नहीं आई, जिससे न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीमित न्यायिक पुनर्विचार की अनुमति का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया गया।

32. अतः, संक्षेप में, यह न्यायालय उचित समझता है कि वर्तमान याचिका को निम्नलिखित संक्षिप्त आधारों पर खारिज कर देना चाहिए, अर्थात्:-

32.1 यह कानून की स्थापित स्थिति है कि न्यायालयों को शैक्षणिक मामलों में क्या सही और अच्छी तरह परखा गया है, इस संबंध में अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करने के मामले में अत्यंत संकोची होना चाहिए, और उन विचारों को वरीयता देनी चाहिए जो पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा उनके कौशल, प्रवीणता और वास्तविक शैक्षिक विषयों की विशेषज्ञता के आधार पर तैयार किए गए हैं, जो परीक्षा की योजना में सम्मिलित हैं।

32.2 उत्तर कुंजी में त्रुटि को केवल उस स्थिति में स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण माना जा सकता है, जब उक्त त्रुटि को सिद्ध करने के लिए किसी परीक्षा या तर्क की आवश्यकता न हो, अर्थात्, गलती रिकॉर्ड के चेहरे पर स्वयं स्पष्ट हो।

32.3 न्यायालय के समक्ष रखे गए विवादित उत्तरों में से, जिनमें से कुछ के उदाहरण ऊपर उल्लेखित हैं, इस न्यायालय का मत है कि यदि कोई विशिष्ट तर्क या बहस नहीं है, तो कोई भी समझदार व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता कि आरएसएसबी द्वारा अपनाए गए उत्तर गलत हैं, और विशेष रूप से स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। अन्य विवादित उत्तरों के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा अपनाई गई तर्कसंगति के संदर्भ हेतु, प्रतिवादी-आरएसएसबी द्वारा आदेश दिनांक 12.09.2023 के अनुपालन में प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है, जैसा कि संबंधित याचिका एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. **8893/2023** शीर्षक प्रियंका शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में प्रस्तुत है।

32.4 वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आरएसएसबी के विशेषज्ञों ने शिक्षक ग्रेड-III (स्तर I) परीक्षा के संबंध में उत्तरों की पहले ही दो अलग-अलग अवसरों पर जांच कर ली है। सबसे पहले, विशेषज्ञों ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी दिनांक 18.03.2023 में समाहित उत्तरों की जांच की और आवश्यकतानुसार, प्राप्त आपत्तियों के अनुसार, आवश्यक संशोधन किए। उसके पश्चात, इस न्यायालय के दिनांक 12.09.2023 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में, आरएसएसबी ने पुनः विशेषज्ञ समिति गठित की ताकि दिनांक 26.05.2023 की अंतिम उत्तर कुंजी के विवादित 22 उत्तरों का पुन मूल्यांकन किया जा सके। उक्त पुनर्मूल्यांकन के बाद भी, विशेषज्ञों द्वारा किसी और परिवर्तन को

आवश्यक नहीं समझा गया और परिणामस्वरूप, आरएसएसबी द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 26.05.2023 को यथावत् रखा गया ।

32.5 याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर कुंजी दिनांक 26.05.2023 में देखी गई त्रुटियों के आधार पर, यह न्यायालय बार-बार प्रतिवादी- आरएसएसबी की प्रत्येक प्रक्रिया के अंत में विशेषज्ञ समितियों के पुनर्गठन का आदेश नहीं दे सकता है ताकि याचिकाकर्ताओं के दावों का मूल्यांकन किया जा सके, विशेष रूप से जब उक्त पुन मूल्यांकन पहले ही दिनांक 12.09.2023 के अंतरिम आदेश के पारित होने के अनुकरण में किया जा चुका है। ऐसा करने से अनजाने में महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी और विलंबित हो जाएगी ।

32.6 अंतरिम आदेश दिनांक 30.11.2023 के माध्यम से, इस न्यायालय ने तृतीय पक्ष अधिकारों की सृष्टि को रोकने के लिए प्रतिवादी-राज्य को शिक्षक ग्रेड-III (स्तर I) पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। वस्तुतः, सफल अभ्यर्थियों को कोई नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति नहीं थी। वर्तमान में, उक्त परीक्षा के घोषित होने के लगभग एक वर्ष बीत चुका है और उक्त अंतरिम आदेश के आधार पर, शिक्षकों के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ रोक दी गई हैं, जो अनुमति योग्य नहीं हैं, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ताओं की शिकायत का विशेषज्ञों द्वारा पहले ही परीक्षण किया जा चुका है ।

32.7 सार्वजनिक पदों पर रोजगार के लिए अनवरत मुकदमेबाजी, जिससे अनेक युवाओं के कैरियर की दिशा स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है, को इतने लंबे समय तक स्थगित रखने

की अनुमति नहीं दी जा सकती कि अंतिम परिणाम मुकदमेबाजों द्वारा झेली गई कठिनाई और परेशानियों को भी दबा दे। इसके अलावा, संचालनात्मक स्थगन आदेश के कारण नियुक्तियों में हुई देरी, जन साधारण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि समय पर शिक्षकों की नियुक्ति न होने से राज्य द्वारा उक्त परीक्षा के बार-बार कराए जाने की आवश्यकता निरस्त होती है

32.8 अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा में बैठे सभी अभ्यर्थियों को मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार समान रूप से व्यवहार किया गया, बिना किसी भेदभाव के। आरएसएसबी के किसी विशेष अधिकारी के विरुद्ध कोई दुर्भावना आरोपित नहीं की गई है। अतः, यह कहा जा सकता है कि शिक्षक ग्रेड-III (स्तर I) पद की परीक्षा का संचालन करते समय सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।

33. तदनुसार, उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, यह न्यायालय उचित समझता है कि वर्तमान रिट याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया जाए।

34. परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिकाओं के समूह खारिज किए जाते हैं। कोई लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित समझे जाएं।

(समीर जैन), जे

पूजा /

अनुसूची-1

संख्या.	एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या	आरक्षित तिथि
1.	8893/2023	
2.	8928/2023	
3.	9115/2023	
4.	9192/2023	
5.	9286/2023	
6.	9289/2023	
7.	9295/2023	
8.	9297/2023	
9.	9307/2023	
10.	9308/2023	
11.	9315/2023	
12.	9325/2023	
13.	9326/2023	
14.	9328/2023	
15.	9329/2023	
16.	9382/2023	
17.	9384/2023	
18.	9386/2023	
19.	9392/2023	
20.	9397/2023	
21.	9441/2023	
22.	9443/2023	
23.	9446/2023	
24.	9493/2023	
25.	9521/2023	
26.	9526/2023	
27.	9527/2023	
28.	9583/2023	
29.	9638/2023	
30.	9658/2023	
31.	9675/2023	

32.	9677/2023	
33.	9691/2023	
34.	9705/2023	
35.	9773/2023	
36.	9817/2023	
37.	9819/2023	
38.	10000/2023	
39.	10017/2023	
40.	10019/2023	
41.	10022/2023	
42.	10023/2023	
43.	10042/2023	
44.	10073/2023	
45.	10082/2023	
46.	10171/2023	
47.	10179/2023	
48.	10192/2023	
49.	10213/2023	
50.	10232/2023	
51.	10460/2023	
52.	10517/2023	
53.	10520/2023	
54.	10525/2023	
55.	10560/2023	
56.	10564/2023	
57.	10612/2023	
58.	10617/2023	
59.	10625/2023	
60.	10636/2023	
61.	10642/2023	
62.	10691/2023	
63.	10694/2023	
64.	10816/2023	
65.	10842/2023	

66.	10932/2023	
67.	11026/2023	
68.	11084/2023	
69.	11412/2023	
70.	11810/2023	
71.	11824/2023	
72.	11967/2023	
73.	12403/2023	
74.	12460/2023	
75.	12514/2023	
76.	12593/2023	
77.	12634/2023	
78.	12763/2023	
79.	12878/2023	
80.	13345/2023	
81.	13387/2023	
82.	13476/2023	
83.	13962/2023	
84.	14224/2023	
85.	14240/2023	
86.	14246/2023	
87.	14335/2023	
88.	14418/2023	
89.	14430/2023	
90.	14516/2023	
91.	14618/2023	
92.	14682/2023	
93.	14691/2023	
94.	14701/2023	
95.	14862/2023	
96.	14898/2023	
97.	14963/2023	
98.	14990/2023	
99.	15195/2023	

100.	15383/2023	
101.	15508/2023	
102.	15524/2023	
103.	15669/2023	
104.	15712/2023	
105.	15762/2023	
106.	15863/2023	
107.	15889/2023	
108.	16209/2023	
109.	16360/2023	
110.	16381/2023	
111.	16650/2023	
112.	16703/2023	
113.	17080/2023	
114.	17463/2023	
115.	17534/2023	
116.	17640/2023	
117.	17972/2023	
118.	18234/2023	
119.	18349/2023	
120.	18369/2023	
121.	20180/2023	
122.	20226/2023	
123.	20292/2023	
124.	20465/2023	
125.	20687/2023	
126.	678/2024	
127.	1824/2024	
128.	2005/2024	
129.	2668/2024	
130.	18764/2023	11.03.2024
131.	14163/2023	
132.	14793/2023	
134.	15115/2023	

135.	16595/2023	
136.	20632/2023	
137.	5539/2024	15.04.2024
138.	3084/2024	

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate